सामुदायिक संरक्षण (जारी)

सन् २००६ से वन अधिकार अधिनियम ने न केवल कई वन आश्रित समुदायों को अपने परंपरागत वन संसाधनों पर अधिकारपूर्वक इस्तेमाल का मौका दिया है बल्कि उन्हें इन संसाधनों के संरक्षण का दायित्व भी सौंपा है। इसके माध्यम से २०१४ के आखिर तक विभिन्न समुदाय दो लाख एकड़ से ज्यादा जंगलों को पुनर्जीवित या संरक्षित कर चुके थे।

ऊपरः *महाराष्ट्र के नयाखेड़ा गांव में चरागाह और जंगल का सहअस्तित्व जिसे वन अधिकार अधिनियम के माध्यम से स्थानीय समुदाय कानूनन सुरक्षा प्रदान कर रहा है।*

महाराष्ट्र के नयाखेड़ा गांव में खोज ने इस कानून के अंतर्गत सामुदायिक वन अधिकार के लिए लोगों के आवेदन जमा कराए और आखिरकार २०१२ में गांव को इस मद में मंजूरी मिली। तब से समुदाय के लोगों ने ६०० हैक्टेयर से ज्यादा जंगलों की सुरक्षा के लिए कई अहम कदम उठाए हैं जिनमें यहां शिकार पर पाबंदी और जलावन के लिए पूरे के पूरे पेड़ों को काटने पर पाबंदी भी शामिल है। अगर कोई व्यक्ति चराई के लिए निषिद्ध इलाके में मवेशियों को चराता पाया जाता है तो उस पर जुर्माना भी लगाया जाता है। जंगल की आग को रोकने के लिए भी कदम उठाए गए हैं।

ऊपरः *मंगलाजोड़ी, ओडिशा में मनुष्यों और पक्षियों का सह-अस्तित्व।*

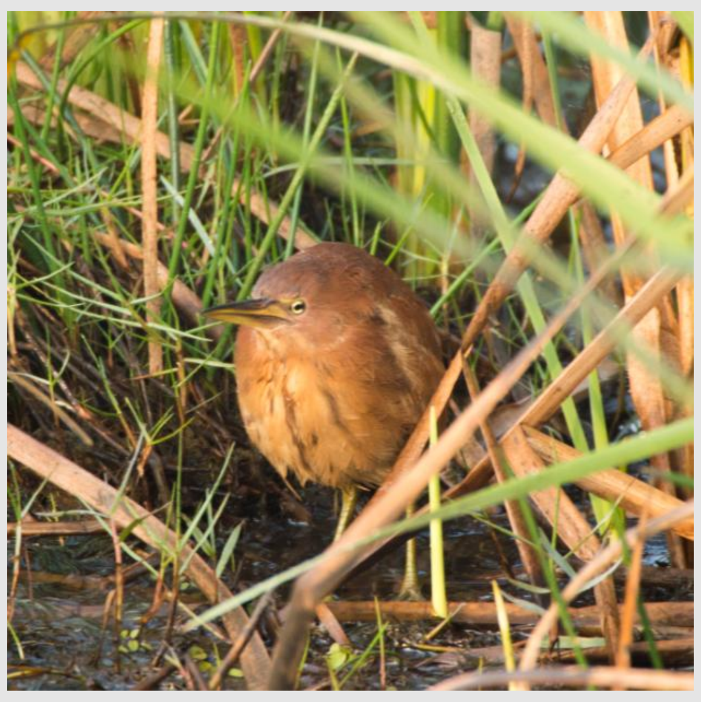

बाएं से दाएं : *मंगलाजोड़ी की आर्द्र भूमि में पाई जाने वाली तकरीबन २०० प्रजातियों में से purple moorhen और cinnamon bittern दो सबसे दिलकश परिंदें हैं।*

जंगलों को बचाने की यह सोच इंसानी इस्तेमाल के लिए मिलने वाले संसाधनों की आवश्यकता तक ही सीमित नहीं है बल्कि स्वयं जंगलों को बचाए रखने के महत्व पर भी आधारित है।

ओड़िशा की मशहूर चिलका झील के किनारे बसा मंगलाजोड़ी गांव इसी समझ का एक उदाहरण है जहां अब वही ग्रामीण लोग आर्द्र भूमियों में पाए जाने वाले पक्षियों का संरक्षण करने लगे हैं जो पहले उनका शिकार किया करते थे। यह कोशिश वाइल्ड ओडिशा द्वारा शुरू की गई थी जिसने इस रूपांतरण के लिए सांस्कृतिक और नैतिक तर्क का सहारा लिया और तत्पश्चात स्थानीय लोगों को गाइड के रूप में प्रशिक्षण दिया। इस रूपांतरण का एक दिलचस्प पहलू यह है कि आर्द्र भूमि में केवल शिकार पर पाबंदी लगाई गई है, मवेशियों को चराने और मछली पकड़ने पर कोई पाबंदी नहीं है क्योंकि इससे पक्षियों को भी फायदा होता है।

पुणे स्थित कल्पवृक्ष द्वारा एक डायरेक्टरी प्रकाशित की गई है जो समुदाय संरक्षित क्षेत्रों का दुनिया का पहला देशव्यापी संकलन और विश्लेषण है। इसमें ऐसे असंख्य प्रयासों का ब्यौरा दिया गया है ताकि जैवविविधता, स्थानीय आजीविकाओं, जनअधिकारों और विकास को बचाए रखने के लिए एक ज्यादा गहरी समझ हासिल की जा सके। इस डायरेक्टरी में देश के २३ राज्यों के १४० प्रयासों का ब्यौरा दिया गया है।

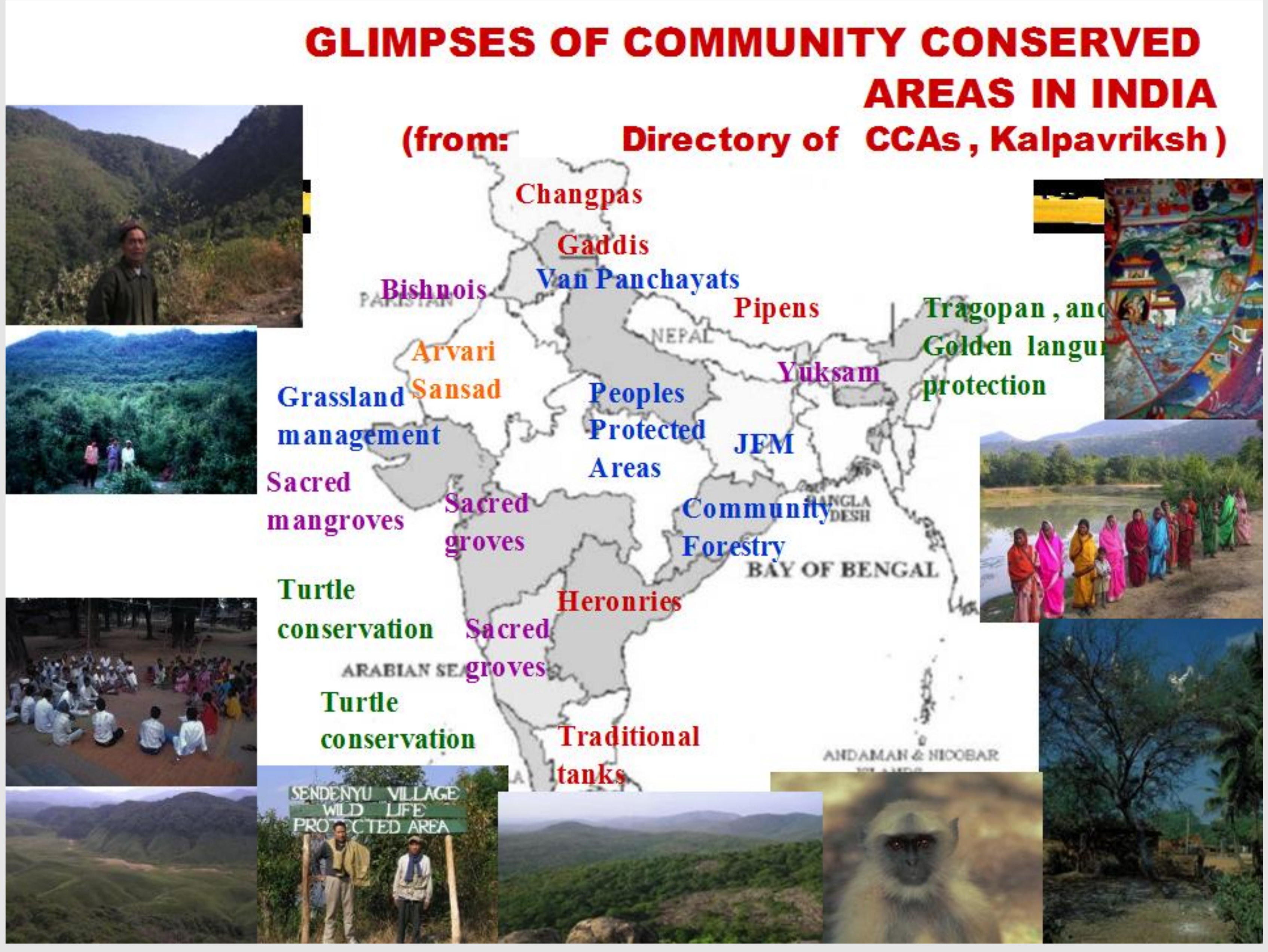

ऊपर : *पूरे देश में सामुदायिक संरक्षण प्रयासों की झलक पेश करने वाला कल्पवृक्ष द्वारा रचा गया एक पोस्टर।*